

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर
पंचायत निगरानी संख्या 32/2016

श्री कैलाश गुलानियां (तेली) पुत्र श्री रामस्वरूप गुलानियां जाति तेली निवासी पानी की टंकी के पास, बस स्टेण्ड अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर जरिये सरपंच/सचिव।
2. श्रीमति पुष्पा पत्नी श्री रमेश चन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 97
राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित :-

श्री इन्द्रेश के0 रामचंदानी, वकील निगरानीकार की ओर से।

—: आदेश :-

दिनांक 31.05.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से हैं कि श्रीमति पुष्पा पत्नी श्री रमेश चन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर द्वारा ग्राम पंचायत अरांई के समक्ष आबादी भूमि में आवासीय पट्टा जारी करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर पंचायती राज अधिनियम में प्राविधित नियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा संकल्प संख्या 3 दिनांक 05.02.2013 की अनुपालना में आबादी भूमि का रियायती दर पर पट्टा संख्या 4 दिनांक 19.12.2013 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में 150 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया। निगरानीकार द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये आक्षेपीय पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए पट्टा निरस्त करने हेतु यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। निगरानी पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्टस के नाम नोटिस जारी किए गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 जरिये वकील उपस्थित हुए। जवाब नोटिस पेश नहीं करने पर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस हेतु निश्चित दिन वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। प्रार्थी वकील ने निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत अरांई द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि तत्कालीन



अपर कलक्टर
अजमेर

सरपंच श्री भंवरगोपाल गौड़ अप्रार्थी संख्या 2 के हितबद्ध व्यक्ति होने के कारण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियमों के प्रतिकूल अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उनके द्वारा आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 साधन सम्पन्न शादीशुदा महिला है जो किसी भी रूप में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की किसी अहर्ता को पूर्ण नहीं करती है। अप्रार्थिया के पति की बस स्टेण्ड अराई पर चाय, जूस की दुकान है तथा शीतल पेय पदार्थ की एजेन्सी है, इनके नाम दोपहिया वाहन, सुख-सुविधा के समस्त साधन तथा ससुर डाक विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के साथ ही इनके पति का पक्का मकान पुराना शहर किशनगढ़ में स्थित है, इसके बावजूद ग्राम पंचायत अराई द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच किये अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में बी.पी.एल. परिवार का सदस्य मानकर नियम 158 के अन्तर्गत "प्रारूप-23-ग" में आक्षेपीय पट्टा जारी कर दिया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 नियम 158 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अहर्ता पूर्ण नहीं करती है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि धारा 158 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 न तो कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं न ही निःशुल्क भूमि आवंटन की पात्रता धारण करते हैं। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को लाभ पहुंचाने हेतु अपने लोक कर्तव्यों का दुरुपयोग कर उपरोक्त निगरानी अधीन भूमि का निःशुल्क रूप से अप्रार्थी संख्या 2 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने के श्रेणी का मानकर पट्टा विलेख जारी किया है जो प्रथम दृष्टया ही लोकधन/सम्पत्ति का दुरुपयोग करने के साथ ही साथ पदीय कर्तव्यों का स्पष्टतः किसी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अनुचित लाभ प्राप्त करने की श्रेणी का है। उन्होंने यह भी कथन किया कि पट्टे अधीन भूमि पर प्रार्थी पूर्व से ही काबिज था अर्थात् भूमि Un Occupied भूमि नहीं थी बल्कि प्रार्थी की Occupied Land की श्रेणी में आती है। इस प्रकार की भूमि पर पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार अप्रार्थी संख्या 1 को नहीं था। वकील प्रार्थी ने आगे कथन किया कि समय-समय पर सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं कि सरकारी सुविधाओं का अनुचित रूप से बी.पी.एल. श्रेणी के गलत दस्तावेज बना कर लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की जांच कर उक्त गलत प्रमाण पत्र बनाने वाले अधिकारियों सहित लाभान्वित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ ही साथ जो गलत लाभ प्राप्त किये गये हैं उसको भी पुनः आहरित किया जावे। हस्तगत प्रकरण में भी समान प्रकार की स्थिति गैर निगरानीकार की है, जिसमें गैर निगरानीकार संख्या 2 ने स्वयं ने गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाला व्यक्ति बताकर गलत रूप से प्रमाण पत्र प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 1 के तत्कालीन सरपंच से साठगांठ कर उपरोक्त निगरानी अपील पट्टा बनाया है जो प्रथम दृष्टया ही मिथ्या कपटपूर्ण तथ्यों के आधार पर जारी होने से उक्त पट्टे से गैर निगरानीकार संख्या 2 को अधिकार सृजित नहीं होते हैं। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान डी.एन.जे. (आर.ए.जे.) 2015(1) पेज 443 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि "and orders benefit taken on false or fraudulent document has no legal value" अर्थात् कोई भी आदेश मिथ्या कथनों एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पारित किया गया हो तो ऐसे आदेश की कानूनन कोई वैधानिकता नहीं है। उन्होंने हमारा ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.ए.आर. 2004 (Civil) पेज 1 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि निगरानीकार द्वारा अपने समस्त कथनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है



सरपंच
श्री भंवरगोपाल गौड़

जिसका गैर निगरानीकार द्वारा प्रतिरोध स्वरूप Contradict नहीं किया गया है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जावे।

हमने वकील प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी करने के समय भूमि रिक्त नहीं थी बल्कि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा था उक्त तथ्य की पुष्टि ग्राम पंचायत अरांई की ग्राम सभा दिनांक 21.08.2015 के प्रस्ताव संख्या 43 के अवलोकन से होती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 158 में स्पष्ट प्रावधान है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन की दशा में पंचायत भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी तथा ऐसी भूमि का पट्टा "प्रारूप 23 ग" में जारी किया जा सकेगा किन्तु पत्रावली के संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर निगरानीदार संख्या 2 साधन सम्पन्न महिला है एवं अप्रार्थिया के पति की बस स्टेण्ड अरांई पर चाय, जूस की दुकान है तथा शीतल पेय पदार्थ की एजेन्सी है। इनके नाम दोपहिया वाहन, सुख-सुविधा के समस्त साधन तथा ससुर डाक विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के साथ ही इनके पति का पक्का मकान पुराना शहर किशनगढ़ में स्थित है तथा उनके द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर बी.पी.एल. श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। हम वकील निगरानीकार के इन कथनों से पूर्णतः सहमत है कि ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थी संख्या 2 को लाभ पहुंचाने के लिए अपने लोक कर्तव्यों का दुरुपयोग कर निगरानी अधीन भूमि का निःशुल्क रूप से अप्रार्थी संख्या 2 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने के श्रेणी का मानकर पट्टा विलेख जारी किया है। इसके अतिरिक्त गैर निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत न करना तथा वरवक्त बहस उपस्थित न होना जाहिर करता है कि वह प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपीय पट्टे से संबंधित पूर्ण रेकार्ड न्यायालय को उपलब्ध नहीं करवाना भी संदेहास्पद है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों तथा रेकार्ड की स्थिति के अवलोकन एवं परिक्षणोपरांत ग्राम पंचायत अरांई द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 19.12.2013 निरस्त किया जाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वे अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी बी.पी.एल. श्रेणी के प्रमाण पत्र के संबंध में गहनता से जांच करें एवं दोषी पाये जाने पर प्रमाण पत्र निरस्त करवाने की कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 31.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(किसोर कुमार)
अपर क्लर्क, अजमेर